



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ५, अंक २८ (३)]

शुक्रवार, फेब्रुवारी २२, २०१९/फाल्गुन ३, शके १९४०

[पृष्ठे १२, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ६५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

वित्त विभाग

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९.

अधिसूचना

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५.

क्रमांक व्यकर-१२१८/प्र.क्र.५२/कराधान-३.—महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६), च्या कलम च्या पोट-कलम (३) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे **उक्त अधिनियमाखाली** नांव नोंदणी धारकांसाठी आगाऊ कर भरणा वैकल्पिक योजनेची खालील प्रमाणे तरतूद करीत आहे, म्हणजेच :—

१. **संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.**—(एक) या योजनेस एकदाच कर भरणा योजना, २०१९ असे संबोधण्यात येईल.

(दोन) ती दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून अंमलात आली आहे, असे समजण्यात येईल.

२. **व्याख्या.** या योजनेत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,—

(अ) "अधिनियम " याचा अर्थ महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६), असा आहे ;

(१)

(ब) "योजना" याचा अर्थ, एकदाच कर भरणा योजना असा आहे.

३. योजने अन्वये लाभ घेण्यासाठी खालील अटी व शर्ती असतील :—

(एक) व्यक्ती उक्त अधिनियमाखाली नांव नोंदीत असली पाहिजे.

(दोन) व्यक्ती त्याच्या नांव नोंदणी नंतर कधीही www.mahagst.gov.in या विभागाच्या संकेत स्थळावरून योजनेचा विकल्प स्वीकारू शकेल.

(तीन) अशा नांव नोंदित व्यक्तीने योजनेचा विकल्प स्वीकारल्यास, योजनेचा कालावधी तसेच त्याला लागू असलेल्या कराचा दर निवडावा आणि या अधिसूचनेला जोडलेल्या तक्त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे आवश्यक कराच्या रकमेचा भरणा करावा.

(चार) नांव नोंदित व्यक्तीने निवडलेल्या कालावधीपुरतीच योजना मर्यादित असेल. अशी व्यक्ती योजनेखालील आधीचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा योजना स्वीकारू शकते. तथापि, एका वेळी कमीत कमी तीन वर्षे ते जास्तीत जास्त पस्तीस वर्षांपर्यंतच लाभ घेता येईल.

(पाच) तक्त्यानुसार देय कराचा भरणा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावा.

(सहा) उक्त अधिनियमाच्या कलम ८ च्या पोट-कलम (३) च्या खंड (अ) मध्ये दिनांक १ एप्रिल २०१८ रोजी झालेल्या बदलापूर्वी असणाऱ्या तरतुदीखाली ज्या नांव नोंदित व्यक्तीने तिची एकूण सलग पाच वर्षांची कर देयता एकरकमी आगाऊ भरणा करून चुकती केली असेल, अशी व्यक्तीदेखील असा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर योजना स्वीकारू शकेल.

(सात) ज्या नांव नोंदित व्यक्तीने सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठीच्या व्यवसाय कराचा भरणा आधीच केलेला आहे किंवा १ एप्रिल २०१८ पासून सुरु होणाऱ्या कालावधीसाठी १ एप्रिल २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर कोणत्याही एकरकमी रकमेचा भरणा केलेला आहे, अशी व्यक्तीदेखील त्यास ज्या कालावधीसाठी योजना स्वीकारली आहे त्या कालावधीसाठीच्या तक्त्यानुसार येणारी उर्वरित रक्कम भरून ह्या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल.

(आठ) ज्या नांव नोंदित व्यक्तीने, योजनेखालील लाभ घेतला असेल आणि व्यवसाय कराची देयता ठराविक कालावधीसाठी चुकती केलेली असेल, ती योजनेच्या कालावधीत कोणत्याही नोकरीमध्ये दाखल झाल्यास, अशी व्यक्ती या अधिसूचनेस जोडलेल्या नमुना अ मधील 'एकदाच व्यवसाय कर भरणा प्रमाणपत्र' तिच्या नियोक्त्यास देईल. अशा प्रकरणांमध्ये अशा व्यक्तीची व्यवसायकर देयता योजनेखालील भरलेल्या रक्कमेपर्यंतच मर्यादित असेल आणि नियोक्ता उक्त व्यक्तीच्या व्यवसाय कर वजातीस तिचा योजनेखालील कालावधी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पात्र असणार नाही.

(नऊ) जर नांव नोंदित व्यक्तीने योजनेखाली व्यवसाय कराचा भरणा काही ठराविक कालावधीसाठी केला आणि त्यानंतर तो योजना स्वीकारतेवेळी लागू असलेल्या कराच्या दरापेक्षा जास्त कराचा दर असणाऱ्या इतर कोणत्याही नोंदीमध्ये समाविष्ट झाला तर, अशा अनुसूची एक खालील नोंदीच्या बदलामुळे त्याची कर देयता बदलणार नाही.

(दहा) योजनेखाली एकदा रक्कम भरली, तर कोणत्याही परिस्थितीत उक्त भरलेल्या रकमेचा परतावा दिला जाणार नाही.

(अकरा) व्यक्तीने योजनेचा लाभ हा कोणतीही महत्त्वाची माहिती दडवून ठेऊन किंवा कोणतीही चुकीची किंवा खोटी माहिती सादर करून घेतला आहे किंवा महत्त्वाचे तथ्य दडविले आहे किंवा कोणताही तपशील लपविलेला आहे असे आढळल्यास योजनेखाली दिलेला लाभ परत घेतला जाईल. अशी व्यक्ती अधिनियमाच्या अनुसूची एक मध्ये विहित केलेल्या दराने कराची रक्कम भरण्यास पात्र राहील.

तक्ता

एक.

| कराचा दर रु. २५००/- प्रतिवर्षी | | जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-------|-------|----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|
| वर्ष | अनुसुची एक नुसार देय | एप्रिल ते जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर | जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३ | ७५०० | ६८३९ | ६९०७ | ६९७६ | ७०४४ | ७११२ | ७१८१ | ७२४९ | ७३१८ | ७३८६ | ७४५४ |
| ४ | १०००० | ८७१७ | ८८०४ | ८८९१ | ८९७९ | ९०६६ | ९१५३ | ९२४० | ९३२७ | ९४१५ | ९५०२ |
| ५ | १२५०० | १०४२५ | १०५२९ | १०६३३ | १०७३७ | १०८४२ | १०९४६ | ११०५० | १११५४ | ११२५९ | ११३६३ |
| ६ | १५००० | ११९७७ | १२०९७ | १२२१७ | १२३३६ | १२४५६ | १२५७६ | १२६९६ | १२८१५ | १२९३५ | १३०५५ |
| ७ | १७५०० | १३३८८ | १३५२२ | १३६५६ | १३७९० | १३९२४ | १४०५८ | १४१९१ | १४३२५ | १४४५९ | १४५९३ |
| ८ | २०००० | १४६७१ | १४८१८ | १४९६४ | १५१११ | १५२५८ | १५४०५ | १५५५१ | १५६९८ | १५८४५ | १५९९१ |
| ९ | २२५०० | १५८३७ | १५९९६ | १६१५४ | १६३१२ | १६४७१ | १६६२९ | १६७८८ | १६९४६ | १७१०४ | १७२६३ |
| १० | २५००० | १६८९८ | १७०६७ | १७२३६ | १७४०४ | १७५७३ | १७७४२ | १७९११ | १८०८० | १८२४९ | १८४१८ |
| ११ | २७५०० | १७८६१ | १८०४० | १८२१९ | १८३९७ | १८५७६ | १८७५४ | १८९३३ | १९११२ | १९२९० | १९४६९ |
| १२ | ३०००० | १८७३८ | १८९२५ | १९११२ | १९३०० | १९४८७ | १९६७५ | १९८६२ | २००४९ | २०२३७ | २०४२४ |
| १३ | ३२५०० | १९५३४ | १९७३० | १९९२५ | २०१२० | २०३१६ | २०५११ | २०७०६ | २०९०२ | २१०९७ | २१२९२ |
| १४ | ३५००० | २०२५८ | २०४६१ | २०६६४ | २०८६६ | २१०६९ | २१२७१ | २१४७४ | २१६७६ | २१८७९ | २२०८२ |
| १५ | ३७५०० | २०९१७ | २११२६ | २१३३५ | २१५४४ | २१७५३ | २१९६३ | २२१७२ | २२३८१ | २२५९० | २२७९९ |
| १६ | ४०००० | २१५१५ | २१७३० | २१९४६ | २२१६१ | २२३७६ | २२५९१ | २२८०६ | २३०२१ | २३२३६ | २३४५२ |
| १७ | ४२५०० | २२०५९ | २२२८० | २२५०० | २२७२१ | २२९४२ | २३१६२ | २३३८३ | २३६०३ | २३८२४ | २४०४५ |
| १८ | ४५००० | २२५५४ | २२७७९ | २३००५ | २३२३० | २३४५६ | २३६८२ | २३९०७ | २४१३३ | २४३५८ | २४५८४ |
| १९ | ४७५०० | २३००४ | २३२३४ | २३४६४ | २३६९४ | २३९२४ | २४१५४ | २४३८४ | २४६१४ | २४८४४ | २५०७४ |
| २० | ५०००० | २३४१२ | २३६४६ | २३८८१ | २४११५ | २४३४९ | २४५८३ | २४८१७ | २५०५१ | २५२८५ | २५५१९ |
| २१ | ५२५०० | २३७८४ | २४०२२ | २४२६० | २४४९७ | २४७३५ | २४९७३ | २५२११ | २५४४९ | २५६८७ | २५९२४ |
| २२ | ५५००० | २४१२२ | २४३६३ | २४६०४ | २४८४५ | २५०८७ | २५३२८ | २५५६९ | २५८१० | २६०५१ | २६२९३ |
| २३ | ५७५०० | २४४२९ | २४६७३ | २४९१७ | २५१६२ | २५४०६ | २५६५० | २५८९५ | २६१३९ | २६३८३ | २६६२७ |
| २४ | ६०००० | २४७०८ | २४९५५ | २५२०२ | २५४४९ | २५६९६ | २५९४३ | २६१९१ | २६४३८ | २६६८५ | २६९३२ |
| २५ | ६२५०० | २४९६२ | २५२११ | २५४६१ | २५७११ | २५९६० | २६२१० | २६४६० | २६७०९ | २६९५९ | २७२०८ |
| २६ | ६५००० | २५१९३ | २५४४५ | २५६९६ | २५९४८ | २६२०० | २६४५२ | २६७०४ | २६९५६ | २७२०८ | २७४६० |
| २७ | ६७५०० | २५४०२ | २५६५६ | २५९१० | २६१६४ | २६४१८ | २६६७२ | २६९२७ | २७१८१ | २७४३५ | २७६८९ |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| २८ | ७०००० | २५५९३ | २५८४९ | २६१०५ | २६३६१ | २६६१७ | २६८७३ | २७१२९ | २७३८५ | २७६४० | २७८९६ |
| २९ | ७२५०० | २५७६६ | २६०२४ | २६२८२ | २६५३९ | २६७९७ | २७०५५ | २७३१२ | २७५७० | २७८२८ | २८०८५ |
| ३० | ७५००० | २५९२४ | २६१८३ | २६४४२ | २६७०२ | २६९६१ | २७२२० | २७४७९ | २७७३९ | २७९९८ | २८२५७ |
| ३१ | ७७५०० | २६०६७ | २६३२८ | २६५८९ | २६८४९ | २७११० | २७३७१ | २७६३१ | २७८९२ | २८१५३ | २८४१३ |
| ३२ | ८०००० | २६१९८ | २६४६० | २६७२१ | २६९८३ | २७२४५ | २७५०७ | २७७६९ | २८०३१ | २८२९३ | २८५५५ |
| ३३ | ८२५०० | २६३१६ | २६५७९ | २६८४२ | २७१०५ | २७३६९ | २७६३२ | २७८९५ | २८१५८ | २८४२१ | २८६८४ |
| ३४ | ८५००० | २६४२४ | २६६८८ | २६९५२ | २७२१६ | २७४८१ | २७७४५ | २८००९ | २८२७३ | २८५३७ | २८८०२ |
| ३५ | ८७५०० | २६५२२ | २६७८७ | २७०५२ | २७३१७ | २७५८२ | २७८४८ | २८११३ | २८३७८ | २८६४३ | २८९०८ |

दोन.

| कराचा दर रु. २०००/- प्रतिवर्षी | | जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|------|-------|----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|
| वर्षे | अनुसुची एक नुसार देय | एप्रिल ते जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर | जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३ | ६००० | ५४७१ | ५५२६ | ५५८० | ५६३५ | ५६९० | ५७४५ | ५७९९ | ५८५४ | ५९०९ | ५९६३ |
| ४ | ८००० | ६९७४ | ७०४३ | ७११३ | ७१८३ | ७२५३ | ७३२२ | ७३९२ | ७४६२ | ७५३२ | ७६०१ |
| ५ | १०००० | ८३४० | ८४२३ | ८५०७ | ८५९० | ८६७३ | ८७५७ | ८८४० | ८९२४ | ९००७ | ९०९० |

तीन.

| कराचा दर रु. १५००/- प्रतिवर्षी | | जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|------|-------|----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|
| वर्षे | अनुसुची एक नुसार देय | एप्रिल ते जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर | जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३ | ४५०० | ४१०३ | ४१४४ | ४१८५ | ४२२६ | ४२६७ | ४३०८ | ४३४९ | ४३९० | ४४३१ | ४४७२ |
| ४ | ६००० | ५२३० | ५२८२ | ५३३५ | ५३८७ | ५४३९ | ५४९२ | ५५४४ | ५५९६ | ५६४८ | ५७०१ |
| ५ | ७५०० | ६२५५ | ६३१८ | ६३८० | ६४४३ | ६५०५ | ६५६८ | ६६३० | ६६९३ | ६७५५ | ६८१८ |

चार.

| कराचा दर रु. १०००/- प्रतिवर्षी | | जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|------|-------|----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|
| वर्षे | अनुसुची एक नुसार देय | एप्रिल ते जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर | जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३ | ३००० | २७३६ | २७६३ | २७९१ | २८१८ | २८४५ | २८७३ | २९०० | २९२८ | २९५५ | २९८२ |
| ४ | ४००० | ३४८७ | ३५२२ | ३५५७ | ३५९२ | ३६२६ | ३६६१ | ३६९६ | ३७३१ | ३७६६ | ३८०१ |
| ५ | ५००० | ४१७० | ४२१२ | ४२५३ | ४२९५ | ४३३७ | ४३७९ | ४४२० | ४४६२ | ४५०४ | ४५४५ |

पाच.

| कराचा दर रु. ७५०/- प्रतिवर्षी | | जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|------|-------|----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|
| वर्षे | अनुसुची एक नुसार देय | एप्रिल ते जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर | जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३ | २२५० | २०५२ | २०७३ | २०९३ | २११४ | २१३४ | २१५५ | २१७५ | २१९६ | २२१६ | २२३७ |
| ४ | ३००० | २६१५ | २६४१ | २६६७ | २६९३ | २७२० | २७४६ | २७७२ | २७९८ | २८२४ | २८५० |
| ५ | ३७५० | ३१२७ | ३१५८ | ३१९० | ३२२१ | ३२५२ | ३२८३ | ३३१५ | ३३४६ | ३३७७ | ३४०८ |

सहा.

| कराचा दर रु. ५००/- प्रतिवर्षी | | जर खालील महिन्यामध्ये ओटीपीटी योजनेअंतर्गत भरणा केला असेल तर देय रक्कम | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------|-------|----------|---------|-----------|---------|----------|------------|-------|
| वर्षे | अनुसुची एक नुसार देय | एप्रिल ते जून | जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर | नोव्हेंबर | डिसेंबर | जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च |
| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) | (७) | (८) | (९) | (१०) | (११) | (१२) |
| ३ | १५०० | १३६८ | १३८२ | १३९५ | १४०९ | १४२३ | १४३६ | १४५० | १४६४ | १४७७ | १४९१ |
| ४ | २००० | १७४३ | १७६० | १७७८ | १७९५ | १८१३ | १८३० | १८४८ | १८६५ | १८८२ | १९०० |
| ५ | २५०० | २०८५ | २१०६ | २१२७ | २१४८ | २१६८ | २१८९ | २२१० | २२३१ | २२५२ | २२७३ |

नमुना अ

एकदाच व्यवसायकर भरणा प्रमाणपत्र

[महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ च्या कलम ८ च्या पोट-[कलम (३) खालील]

कर भरणा प्रमाणपत्र क्र. -----

असे प्रमाणित करण्यात येते की, ----- हे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ अन्वये नांव नोंदित व्यक्ती असून त्याची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :-

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (१) नांव नोंदणी क्रमांक | ----- |
| (२) पॅन (PAN) | ----- |
| (३) नांव पॅनप्रमाणे | ----- |
| (४) व्यापार नाव | ----- |
| (५) अनुसूची नोंद | ----- |
| (६) पत्ता | ----- |
| (७) ओटीपीटी योजनेखालील | पासून ----- पर्यंत ----- |

समाविष्ट कालावधी.

हे प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या व्यक्तीने कालावधी ----- पासून ----- पर्यंत त्याची कर देयता चुकती केलेली आहे. हा कालावधी पूर्ण झाल्यावर जर लागू असल्यास, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ च्या तरतुदीनुसार ती कर देयतेस पात्र होईल.

ठिकाण :

डिजिटल स्वाक्षरी :

दिनांक :

पदनाम :

(टीप:- हे प्रमाणपत्र ज्या नांव नोंदित व्यक्तीचा तपशील या प्रमाणपत्रात नमूद केलेला आहे त्याने ओटीपीटी योजनेखाली केलेला भरणा आणि वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठीच फक्त महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ खाली ग्राह्य आहे. विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या इतर कोणत्याही कायद्याखालील किंवा इतर कोणत्याही कालावधीसाठीची कर देयता या प्रमाणपत्रात समाविष्ट नाही. या प्रमाणपत्राची सत्यता www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळावर पडताळून पहावी.)"

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ज. वि. दिपटे,
शासनाचे उप सचिव.

FINANCE DEPARTMENT

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 22nd February 2019

NOTIFICATION

THE MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975.

No. PFT.1218/C.R.52/Taxation-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (Mah. XVI of 1975), the Government of Maharashtra, hereby makes the following scheme to provide an optional scheme for the payment of tax, in advance, for an enrolled person, under the said Act, as follows, namely :—

1. *Short title and Commencement* :—(i) This Scheme shall be called the One Time Payment of Tax Scheme, 2019.

(ii) It shall be deemed to have come into force on the 1st April 2018.

2. *Definitions*:— In this Scheme unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (Mah. XVI of 1975);

(b) “Scheme” means the One Time Payment of Tax Scheme.

3. To avail the benefit under the Scheme, the conditions and restrictions are as follows : —

(i) The person must be enrolled under the said Act.

(ii) The enrolled person may opt the Scheme on the department’s website www.mahagst.gov.in at any time after his enrollment.

(iii) Such enrolled person opting for the Scheme shall select the period for the Scheme as well as tax rate applicable to him and shall pay requisite amount as provided in the TABLE annexed to this Scheme.

(iv) The Scheme shall be restricted to the period selected by an enrolled person. Such person may opt for the Scheme again after earlier period under the scheme is over. However the benefit can be availed at a time for a minimum period of three years upto a maximum period of thirty five years.

(v) The amount payable as per the TABLE shall be paid electronically.

(vi) The enrolled person who has discharged his liability for payment of tax for a total continuous period of five years by making payment in advance of a lump-sum amount under provision of clause (a) of sub-section (3) of section 8 of the Act, prior to 1st April 2018, may also opt for the Scheme after completion of such period of five years.

(vii) The enrolled person who has already paid Profession Tax for the year 2018-2019 or has paid any lump-sum amount on or after 1st April 2018 for the periods starting from 1st April 2018, can also avail the benefit of Scheme by paying the balance amount payable for the period opted under the scheme as per the TABLE.

(viii) If the enrolled person, who has availed the benefit of Scheme and has discharged his liability of Profession tax for a particular period, joins any employment during the period covered under the Scheme then, such person shall furnish to the employer ‘One Time Profession Tax Payment Certificate’ in Form A appended to this Scheme. In such case his liability to pay profession tax shall be restricted to the amount paid under the Scheme and the employer shall not be liable to deduct Profession Tax of the said person until completion of his period under Scheme.

(ix) If the enrolled person has paid the Profession tax under the Scheme for a particular period and subsequently he is covered by any other entry having higher rate of tax than the rate applicable at the time of opting the scheme then, his liability to pay tax shall not be varied due to such change in the entry under Schedule I.

(x) Once the amount is paid under the Scheme, no refund of the amount paid shall be granted under any circumstances.

(xi) If it appears that, the person has availed the benefit of the Scheme by suppressing any material information or particulars or by furnishing any incorrect or false information or, if any suppression of material facts, concealment of any particulars is found then the benefits availed under the Scheme shall be withdrawn. Such person shall be liable to pay tax at the rate specified in Schedule I of the Act.

TABLE

I.

| Rate of tax per year of Rs. 2500/- | | Amount payable under OTPT if payment is made in the months | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Number of years | Payable as per Schedule I | April to June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | 7500 | 6839 | 6907 | 6976 | 7044 | 7112 | 7181 | 7249 | 7318 | 7386 | 7454 |
| 4 | 10000 | 8717 | 8804 | 8891 | 8979 | 9066 | 9153 | 9240 | 9327 | 9415 | 9502 |
| 5 | 12500 | 10425 | 10529 | 10633 | 10737 | 10842 | 10946 | 11050 | 11154 | 11259 | 11363 |
| 6 | 15000 | 11977 | 12097 | 12217 | 12336 | 12456 | 12576 | 12696 | 12815 | 12935 | 13055 |
| 7 | 17500 | 13388 | 13522 | 13656 | 13790 | 13924 | 14058 | 14191 | 14325 | 14459 | 14593 |
| 8 | 20000 | 14671 | 14818 | 14964 | 15111 | 15258 | 15405 | 15551 | 15698 | 15845 | 15991 |
| 9 | 22500 | 15837 | 15996 | 16154 | 16312 | 16471 | 16629 | 16788 | 16946 | 17104 | 17263 |
| 10 | 25000 | 16898 | 17067 | 17236 | 17404 | 17573 | 17742 | 17911 | 18080 | 18249 | 18418 |
| 11 | 27500 | 17861 | 18040 | 18219 | 18397 | 18576 | 18754 | 18933 | 19112 | 19290 | 19469 |
| 12 | 30000 | 18738 | 18925 | 19112 | 19300 | 19487 | 19675 | 19862 | 20049 | 20237 | 20424 |
| 13 | 32500 | 19534 | 19730 | 19925 | 20120 | 20316 | 20511 | 20706 | 20902 | 21097 | 21292 |
| 14 | 35000 | 20258 | 20461 | 20664 | 20866 | 21069 | 21271 | 21474 | 21676 | 21879 | 22082 |
| 15 | 37500 | 20917 | 21126 | 21335 | 21544 | 21753 | 21963 | 22172 | 22381 | 22590 | 22799 |
| 16 | 40000 | 21515 | 21730 | 21946 | 22161 | 22376 | 22591 | 22806 | 23021 | 23236 | 23452 |
| 17 | 42500 | 22059 | 22280 | 22500 | 22721 | 22942 | 23162 | 23383 | 23603 | 23824 | 24045 |
| 18 | 45000 | 22554 | 22779 | 23005 | 23230 | 23456 | 23682 | 23907 | 24133 | 24358 | 24584 |
| 19 | 47500 | 23004 | 23234 | 23464 | 23694 | 23924 | 24154 | 24384 | 24614 | 24844 | 25074 |
| 20 | 50000 | 23412 | 23646 | 23881 | 24115 | 24349 | 24583 | 24817 | 25051 | 25285 | 25519 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21 | 52500 | 23784 | 24022 | 24260 | 24497 | 24735 | 24973 | 25211 | 25449 | 25687 | 25924 |
| 22 | 55000 | 24122 | 24363 | 24604 | 24845 | 25087 | 25328 | 25569 | 25810 | 26051 | 26293 |
| 23 | 57500 | 24429 | 24673 | 24917 | 25162 | 25406 | 25650 | 25895 | 26139 | 26383 | 26627 |
| 24 | 60000 | 24708 | 24955 | 25202 | 25449 | 25696 | 25943 | 26191 | 26438 | 26685 | 26932 |
| 25 | 62500 | 24962 | 25211 | 25461 | 25711 | 25960 | 26210 | 26460 | 26709 | 26959 | 27208 |
| 26 | 65000 | 25193 | 25445 | 25696 | 25948 | 26200 | 26452 | 26704 | 26956 | 27208 | 27460 |
| 27 | 67500 | 25402 | 25656 | 25910 | 26164 | 26418 | 26672 | 26927 | 27181 | 27435 | 27689 |
| 28 | 70000 | 25593 | 25849 | 26105 | 26361 | 26617 | 26873 | 27129 | 27385 | 27640 | 27896 |
| 29 | 72500 | 25766 | 26024 | 26282 | 26539 | 26797 | 27055 | 27312 | 27570 | 27828 | 28085 |
| 30 | 75000 | 25924 | 26183 | 26442 | 26702 | 26961 | 27220 | 27479 | 27739 | 27998 | 28257 |
| 31 | 77500 | 26067 | 26328 | 26589 | 26849 | 27110 | 27371 | 27631 | 27892 | 28153 | 28413 |
| 32 | 80000 | 26198 | 26460 | 26721 | 26983 | 27245 | 27507 | 27769 | 28031 | 28293 | 28555 |
| 33 | 82500 | 26316 | 26579 | 26842 | 27105 | 27369 | 27632 | 27895 | 28158 | 28421 | 28684 |
| 34 | 85000 | 26424 | 26688 | 26952 | 27216 | 27481 | 27745 | 28009 | 28273 | 28537 | 28802 |
| 35 | 87500 | 26522 | 26787 | 27052 | 27317 | 27582 | 27848 | 28113 | 28378 | 28643 | 28908 |

II.

| Rate of tax per year of Rs. 2000/- | | Amount payable under OTPT if payment is made in the months | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Number of years | Payable as per Schedule I | April to June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | 6000 | 5471 | 5526 | 5580 | 5635 | 5690 | 5745 | 5799 | 5854 | 5909 | 5963 |
| 4 | 8000 | 6974 | 7043 | 7113 | 7183 | 7253 | 7322 | 7392 | 7462 | 7532 | 7601 |
| 5 | 10000 | 8340 | 8423 | 8507 | 8590 | 8673 | 8757 | 8840 | 8924 | 9007 | 9090 |

III.

| Rate of tax per year of Rs. 1500/- | | Amount payable under OTPT if payment is made in the months | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Number of years | Payable as per Schedule I | April to June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | 4500 | 4103 | 4144 | 4185 | 4226 | 4267 | 4308 | 4349 | 4390 | 4431 | 4472 |
| 4 | 6000 | 5230 | 5282 | 5335 | 5387 | 5439 | 5492 | 5544 | 5596 | 5648 | 5701 |
| 5 | 7500 | 6255 | 6318 | 6380 | 6443 | 6505 | 6568 | 6630 | 6693 | 6755 | 6818 |

IV.

| Rate of tax per year of Rs. 1000/- | | Amount payable under OTPT if payment is made in the months | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Number of years | Payable as per Schedule I | April to June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | 3000 | 2736 | 2763 | 2791 | 2818 | 2845 | 2873 | 2900 | 2928 | 2955 | 2982 |
| 4 | 4000 | 3487 | 3522 | 3557 | 3592 | 3626 | 3661 | 3696 | 3731 | 3766 | 3801 |
| 5 | 5000 | 4170 | 4212 | 4253 | 4295 | 4337 | 4379 | 4420 | 4462 | 4504 | 4545 |

V.

| Rate of tax per year of Rs. 750/- | | Amount payable under OTPT if payment is made in the months | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Number of years | Payable as per Schedule I | April to June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | 2250 | 2052 | 2073 | 2093 | 2114 | 2134 | 2155 | 2175 | 2196 | 2216 | 2237 |
| 4 | 3000 | 2615 | 2641 | 2667 | 2693 | 2720 | 2746 | 2772 | 2798 | 2824 | 2850 |
| 5 | 3750 | 3127 | 3158 | 3190 | 3221 | 3252 | 3283 | 3315 | 3346 | 3377 | 3408 |

VI.

| Rate of tax per year of Rs. 500/- | | Amount payable under OTPT if payment is made in the months | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| Number of years | Payable as per Schedule I | April to June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | 1500 | 1368 | 1382 | 1395 | 1409 | 1423 | 1436 | 1450 | 1464 | 1477 | 1491 |
| 4 | 2000 | 1743 | 1760 | 1778 | 1795 | 1813 | 1830 | 1848 | 1865 | 1882 | 1900 |
| 5 | 2500 | 2085 | 2106 | 2127 | 2148 | 2168 | 2189 | 2210 | 2231 | 2252 | 2273 |

BARCODE

FORM A

One Time Profession Tax Payment Certificate

[Under sub-section (3) of section 8 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975]

Tax Payment Certificate No.

This is to certify that ----- whose details are given below he is enrolled person under the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975.

- (1) Enrollment Number -
- (2) PAN -
- (3) Name as per PAN -
- (4) Trade Name -
- (5) Schedule Entry -
- (6) Address -
- (7) Period covered under OTPT scheme - From _____ To _____

The holder of this certificate has discharged his Profession Tax liability for the period from----- to----- . After completion of this period he will be liable to pay tax, if applicable, as per the provisions of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975.

Place: _____

Digital Signature:

Date: _____

Designation:

(Note.—This certificate is valid under the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 only for the period mentioned above and for the payment made under the OTPT scheme by an enrolled person whose details are mentioned in this certificate. Tax liability for any other periods or under any other Act administered by the Department is not covered by this certificate. Authenticity of this certificate can be checked on www.mahagst.gov.in.)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

J. V. DIPTE,
Deputy Secretary to Government.